संख्या– 1668 / 26–3–2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव / सचिव
बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा / समाज कल्याण विभाग / पंचायती राज / पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 29 अप्रैल, 2010

विषयः शैक्षणिक सत्र 2010–11 में प्रदेश में वितरित की जा रही समस्त छात्रवृत्तियों का वितरण समयान्तर्गत सुनिश्चित करने एवं दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी अतिरिक्त दिशा–निर्देश।

महोदय,

उक्त विषयक शासनादेश संख्या–2029 / 26–3–2009 दिनांक 09–06–2009 एवं शासनादेश संख्या–2030 / 26–3–2009, दिनांक 23–09–2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा दिये गये विस्तृत एवं स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कतिपय जनपदों में शासनादेश द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत छात्रों सम्बन्धी डाटा फीडिंग एवं उनकी अपलोडिंग आदि नहीं की गयी तथा छात्रवृत्ति का वितरण शासन द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थाओं को दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति भी समय से कतिपय जनपदों में नहीं की जा सकी। छात्रवृत्ति वितरण एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम हैं एवं इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों, मण्डलायुक्तों एवं सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों / सचिवों तथा जनपदीय अधिकारियों के स्तर पर इस कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है।

उक्त के क्रम में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं जिनका अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय।

1– छात्रवृत्ति वितरण की परिधि में आने वाली समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में सभी प्रकार के प्रवेश 31 अक्टूबर तक ही किये जायेंगे एवं इसी के अनुरूप

छात्रवृत्ति की मांग को अंतिम रूप दिया जायेगा। शासन स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागों यथा बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा द्वारा नियमित समीक्षा प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर की जायेगी जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग के अधीन सभी संस्थाओं में प्रवेश दिनांक 31–10–2010 तक कर लिये गये हैं एवं उनसे सम्बन्धित डाटा सम्बन्धित विभाग यथा समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

2— यदि किन्हीं कारणों जैसे न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से किसी संस्था को उक्त तिथि अर्थात 31 अक्टूबर के बाद प्रवेश लेना पड़ता है तो उन छात्रों का अलंग से डाटा तैयार किया जायेगा तथा उसे इस सम्बन्ध में शासन के छात्रवृत्ति देने वाले विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी को फीडिंग तथा अपलोडिंग हेतु भेजा जायेगा। ऐसे प्रस्ताव संस्था से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। सभी विभाग प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में समस्त प्रवेश दिनांक 31 अक्टूबर के पूर्व हो जॉय एवं तदनुरूप छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत भेज दिया जाय।

3— शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31अक्टूबर के बाद किसी भी शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान न किया जाय एवं यदि उक्त तिथि के बाद मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है तो उसे अगले सत्र से ही लागू किया जाय।

4— शासनादेश संख्या—2029/26—3—2009 दिनांक 09—06—09 में यद्यपि जनपद के सभी शैक्षणिक संस्थाओं सम्बन्धी मास्टर डाटा दिनांक 15 जुलाई की तिथि तक तैयार कराये जाने की व्यवस्था है किन्तु उपयुक्त होगा कि इस सम्बन्ध में अभी से सभी शैक्षणिक संस्थाओं की गणना तथा सर्वेक्षण जनपद स्तर पर कर लिया जाय ताकि कोई पात्र संस्था छूटने न पाये तथा कोई गलत संस्था जो चालू नहीं है वह मास्टर डाटा में सम्मिलित न हो सके। जिलाधिकारीगण मास्टर डाटा की शुद्धता को कृपया स्वयं भी चेक कर लें एवं तभी निदेशालय तथा एनआईसी मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित करें। उपयुक्त होगा कि सम्बन्धित विभागों यथा बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा द्वारा भी इसकी जांच कर ली जाय ताकि कोई संस्था छूटने न पाये एवं कोई फर्जी संस्था सम्मिलित न होने पाये। इस सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की विसंगति पायी जाय तो समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

विभाग को 31 जुलाई तक अवश्य अवगत करा दिया जाय। यदि विसंगति को समय सीमा के अन्तर्गत अवगत नहीं कराया जाता है तो यह माना जायेगा कि विभाग इस मास्टर डाटा से सहमत है।

5— यह स्पष्ट किया जाता है छात्रवृत्ति वितरण एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शासन की महत्वपूर्ण कल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी योजना है तथा इसका उत्तरदायित्व सभी विभागों पर सम्मिलित रूप से है। योजना की संरचना से यह स्पष्ट है कि छात्रों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण डाटा निर्धारित प्रारूप पर तैयार करना तथा उसे सीडी एवं हार्ड कापी में उपलब्ध कराना बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के जनपदीय/फील्ड अधिकारियों का उत्तरदायित्व है तथा यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है अथवा समयान्तर्गत यह डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग एवं सम्बन्धित अधिकारी का होगा। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि इन विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाय कि छात्रवृत्ति वितरण का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार एवं समय सीमान्तर्गत चल रहा है अथवा नहीं। समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि मांग पत्र प्राप्त होते ही सम्बन्धित जिलों को धन उपलब्ध करायें एवं वितरण सुनिश्चित करायें।

6— शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ जनपदों में छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में डाटा कई राउन्ड में फीड किया जाता है तथा माँग राउन्डवार भेजी जा रही है, जबकि निर्गत शासनादेशों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विगत वर्ष से उत्तीर्ण होकर जो छात्र/छात्रायें अगले कक्षा में प्रवेश लेते हैं, उनके बारे में माँग 15 अगस्त तक प्रेषित कर दी जानी चाहिए एवं तदोपरान्त् जिन नये छात्र/छात्राओं का प्रवेश होता है, वे प्रवेश भी 31 अक्टूबर तक पूर्ण किये जाने है। अतः इनसे सम्बन्धित माँग अधिकतम 31 नवम्बर तक प्रेषित की जा सकती है। अतः सामान्यतः दो बार से अधिक माँग पत्र भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं है। विशेष परिस्थितियों में यदि न्यायालयीय आदेश अथवा अन्य अपरिहार्य कारण से प्रवेश किसी जनपद/संस्था में दिनांक 31 अक्टूबर के बाद लिया जाता है, तो उसका डाटा एवं माँग प्रस्तर–2 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार 31 दिसम्बर तक भेजा जा सकता है तथा इसके उपरान्त किसी भी प्रकार की माँग स्वीकार नहीं की जायेगी एवं यदि किसी छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं होता है, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा।

7— शासन के उक्त निर्णयों का अनुपालन सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाय एवं यदि इन निर्देशों के अनुपालन हेतु अलग से विभागीय आदेश की आवश्यकता हो, तो उन्हें 15 मई, 2010 तक निर्गत कर दिया जाय।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या— 1668 (1)/26—3—2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/पंचायती राज, उ0प्र।
6. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ।
10. मुख्य शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ।
11. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।
12. समस्त जनपदीय विभागीय अधिकारीगण, उ0प्र0।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
14. वित्तय (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।